यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली** के माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.10.2018 से 26.10.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण विकास खण्ड, जोशीमठ (चमोली) हैं । विकास खण्ड के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन चिकित्सा अधीक्षक के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ समर्पण	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2014-15	418.87	359.32	1.30	0.60	59.55	0.70
2015-16	475.15	400.23	1.00	0.40	74.92	0.60
2016-17	538.41	466.71	0.33	00	71.70	0.33
2017-18	546.74	494.27	00	00	52.47	00
2018-19 (09/2018)	345.07	264.40	0.53	00	80.67	0.53

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	NHM (RCH, Add. & Immunisation)	19.07	53.49	67.10	5.56
2016-17		5.56	65.10	61.45	9.21
2017-18		9.21	50.48	49.26	10.43
2018-19 (09/2018)		10.43	21.53	15.87	16.08

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार (NHM) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

2). महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

3). निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

4). मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5). चिकित्सा अधीक्षक (संबन्धित चिकित्सालय)

6). चिकित्सा अधिकारी

7). अन्य स्टाफ

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा, यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमे (04/2012 से 09/2018) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017, 06/2016, 04/2014 एवं 06/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर:1- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रु. 15.96 लाख का अनियमित ब्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ (चमोली)** के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 (09/2018) तक कुल 1328 लाभार्थियों को रु0 15.96 लाख का भुगतान किया गया। लाभार्थियों को किए गया कुल भुगतान रु0 15.96 लाख अनियमित था क्योंकि प्रसव के पश्चात् लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम निर्धारित 48 घण्टे रुके ही नहीं। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों को किया गया रु0 15.96 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसके उदाहरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 1328 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 15.96 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 15.96 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया। वर्ष 2014–15 से 2018–19 (09/2018) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण	देय राशि (ग्रामीण	आधिक्य भुगतान (Col.7 – Col.8)
				(Col.3–4)			0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014–15	ग्रामीण	207	0	207	196	274400	0	274400
	शहरी	144	0	144	138	138000	0	138000
2015–16	ग्रामीण	212	0	212	205	287000	0	287000
	शहरी	140	0	140	128	128000	0	128000
2016–17	ग्रामीण	183	0	183	181	253400	0	253400
	शहरी	118	0	118	109	109000	0	109000

2017-18	ग्रामीण	154	0	154	158	221200	0	221200
	शहरी	82	0	82	81	81000	0	81000
2018-19 (09/2018)	ग्रामीण	48	0	48	47	65800	0	65800
	शहरी	40	0	40	38	38000	0	38000
योगः—	ग्रामीण	**804**	0	**804**	**787**	**1101800**	0	**1101800**
	शहरी	**524**	0	**524**	**494**	**494000**	0	**494000**
महायोगः		**1328**	0	**1328**	**1281**	**1595800**	**0**	**1595800**

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा—निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 15.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि लाभार्थी एवं उनके परिजनों के दबाव के कारण 48 घंटे से पहले ही छोडना पड़ता है।उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 48 घंटे तक रुकने के बाद ही प्रोत्साहनराशि दिये जाने का प्रावधान है।

इस प्रकार जे.एस.वाई. के दिशा-निर्देशों के विपरीत लाभार्थियों को रु. 15.96 लाख अनियमित रूप से दिये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो -"ब"

प्रस्तर-02: त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, जोशीमठ इकाई का कार्य, मूल रूप से प्राथमिक स्तरीय की चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है,कर्णप्रयाग जनपद चमोली चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे धार्मिक यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है तथा मौसम परिवर्तन के कारण सामान्य रोगियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु प्रयाप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।
सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जोशीमठ के मानव संसाधन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालय मे चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्रशानिक क्रमचरियों की अत्याधिक कमी थी, कुलचिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारियो के 162 पद स्वीकृत थे उक्त स्वीकृत पदके सापेक्ष मात्र 65 चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अधिकारियों व कर्मचारी तैनात थेऔर 97 पद रिक्त थे। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे रोगियों की संख्या ठीक ठाक थी उसके बाद भी फिजीशियन,बाल रोग विशेषज्ञ, रेडिओलजिस्ट तथा स्त्री रोग, दांत शल्यक, चीफ फार्मेसिस्ट, फार्मेसिस्ट, अनेस्थेटिक आदि का पद रिक्त था। प्रश्नगत पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
उपरोक्त के संबंध मेन लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखा आपत्ती को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बतलाया कि पद रिक्त रहने से चिकित्सा सेवा मे कठिनाई आती है तथा स्थानीय जनता को समुचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध करना संभव नहीं होता है जबकि उक्त रिक्त पद केंद्र की स्थापना के समय से ही रिक्त हैं।

सामान्य वित्तीय नियम-2017 के नियम 47 **के अनुसार- "**…'User Charges' is an important component of the non-tax revenues. Each Ministry/Department may undertake an exercise to identify the 'user charges' levied by it and publish the same on its website."

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ (चमोली) का निर्माण स्थानीय जनता (आबादी 32000) को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया और अप्रैल 2012 से पृथक आहरण-वितरण का अधिकार प्राप्त हुआ। इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि-20 शैया में से मात्र 10 शैया का ही उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किया जा रहा है। शेष 10 शैया वाले वार्डों में ताले बंद है अथवा भंडारण या अन्य कार्यालयी उपयोग में लाया जा रहा है। इकाई की वर्ष 2012-13 से 2017-18 में अन्तः एवं वाह्य रोगियों की स्थिति निम्नवत थी-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	वाह्य रोगियों (OPD) की संख्या	अन्तः रोगियों (IPD) की संख्या	IPD से प्राप्त यूज़र चार्ज (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	2012-13	14803	1058	45099
2	2013-14	15420	693	29815
3	2014-15	13743	1378	47804
4	2015-16	14090	1249	40134
5	2016-17	13163	1041	32790
6	2017-18	11698	766	35348
	योग	82917	6185	230990

स्वास्थ्य केंद्र**,** जोशीमठ चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ पर मरीजों की संख्या यात्रा-अवधि मे काफी बढ़ जाती है। ऐसे में चिकित्सालय द्वारा शैय्या-क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना जोखिम भरा है। इसके अतिरिक्त चिकत्सालय द्वारा पूर्ण शैय्या-क्षमता का उपयोग नहीं किए जाने से न सिर्फ यात्रा/स्थानीय मरीजों को सुलभ IPD सुविधा मे कमी होती है अपितु सरकार को यूजर चार्ज के रूप मे प्राप्त होने वाले Non-Tax Revenues की भी हानि होती है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने लेखाआपत्ति को स्वीकार करते हुए बतलाया कि स्टाफ/डाक्टरों की कमी के कारण शैय्याओं का उपयोग नहीं किया जा सका और इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यात्रा के दौरान अधिक मरीज होने पर उन्हें निकट के चिकित्सालय में रेफर कर दिया जाता है।

इस प्रकार 20-शैय्यायुक्त चिकित्सालय के पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने के कारण स्वास्थ्य-सेवा पर दुष्प्रभाव एवं सरकार को यूजर चार्ज के रूप मे प्राप्त होने वाले Non-Tax Revenue की हानि का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, जोशीमठ इकाई का कार्य, मूल रूप से स्थानीय जनता को चिकित्सा सेवाए उपलब्ध कराना है, जोशीमठ जनपद चमोली चारधाम यात्रा मार्ग पर स्थित नगरी है जहां पर बहुतायात संख्या मे धार्मिक यात्रियों का आवागमन होता है,ऐसे स्थान पर संक्रामक बीमारियों के फैलने की संभावना भी प्रबल होती है तथा मौसम परिवर्तन के कारण सामान्य रोगियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति मे उक्त स्थान पर स्वास्थ सेवाओं की विशेष आवश्यकता होती है। स्वास्थ सेवाओं के सफल संचालन हेतु प्रयाप्त स्टाफ और संसाधनो की उचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जोशीमठ,चमोली के लेखा अभिलेखो की अनुपालन लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की उक्त स्वास्थ केंद्र का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा था, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जोशीमठ हेतु स्वीकृत पद 162 के सापेक्ष मात्र 65 पदो पर तैनाती थी 97 (59.88%) पद रिक्त थे। ओ॰पी॰डी॰/आई॰पी॰डी॰ के रोगियों की संख्या ठीक ठाक थी उसके बाद भी स्वास्थ केंद्र के वार्ड की स्थिति, रोगियों के भर्ती होने योग्य नहीं थी तथा चिकित्सालय हेतु यथा आवश्यक संयंत्र एवं उपकरण का आभाव था एवं जो संयंत्र एवं उपकरण उपलब्ध थी उनमे भी अधिकांश संयंत्र व उपकरण अनुपयोगी स्थिति मे थे। चिकित्सालय मे एक्सरे सुविधा उपलब्ध थी परन्तु एक्क्षे टेकनीशियन का पद रिक्त रहने के कारण उक्त मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण स्थानीय जनता कोकटिनाई का सामना करना होता है। जांच मे यह भी पाया गया

की मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली कार्यालय से फरवरी 2017 मे बिना मांग के Oseltamivir के 600 टबलेट प्राप्त हुए थी परंतु उनकी आवश्यकता न होने के कारण संप्रेक्षा तिथि (26.10.2018) तक अनुपयोगी पड़े हुए थे, तथा जांच मे यह भी पाया गया कि कई ऐसी औषधि थी जो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली कार्यालय, द्वारा अनावश्यक रूप से स्वास्थ केंद्र जोशीमठ को बिना मांग के प्रेषित किया गया था जिसका उपयोग स्वास्थ केंद्र द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका परिणामस्वरूप उक्त औषधि कालातीत हो गयी। इसी प्रकार टेकनीशियन की तैनाती के आभाव मे अल्ट्रा साउंड मशीन जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली कार्यालय द्वारा मई 2015 मे उपलब्ध कार्यवाही गयी थी जिसकी गारंटी / वारंटी एवं मूल्य अंकित नहीं थी, तथा सितंबर 2016 मे प्राप्त रुपए 15.33 लाख की एक्सरे मशीन अकार्यशील थी। आपरेशन थियेटर की स्थिति भी मानकों के विपरीत थी।

सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जोशीमठ की स्थिति के कुछ चित्र नीचे दिये जारहे हैं-

उपकरण	उपकरण
वार्ड	वार्ड
आपरेशन थियेटर	आपरेशन थियेटर

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र कार्यालय मे चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ तथा प्राशासनिक स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे,चिकित्सकीय उपकरण अनुपयोगी स्थिति मे पड़े हुए थे, औषधि का उपयोग यथा समय न तो सुनिश्चित किया गया था और ना ही उसको अन्य चिकित्सालय अथवा मुख्य चिकित्सा

अधिकारी कार्यालय को वापस किया गया था जो विभागीय उदासीनता एवं चिकित्सालय के कूप्रबंधन को परिलक्षित करता है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अपने उत्तर में बतलाया कि स्वास्थ्य केंद्र के अधिकांश पद प्रारम्भ से ही रिक्त हैं। टेकनीशियन के अभाव में एक्स-रे का कार्य बाधित है। स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकतानुसार संयंत्र एवं उपकरण उपलब्ध हैं। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पदों का प्रारम्भ से रिक्त रहना और टेकनीशियन की कमी के कारण एक्सरे का काम नहीं करना मानकों के अनुपालन नहीं करना है और कहीं न कहीं विभागीय शिथिलता को दर्शाता है जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवा सुचारु रूप से नहीं मिल पाती

इस प्रकार चिकित्सालय प्रबन्धन के अधोमानक रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- बिना मांग के कम शेल्फ-लाइफ वाली औषधियो की आपूर्ति करने के परिणाम -स्वरूप 16 प्रकार की 6991 औषधियाँ को नष्ट किए जाने के कारण शासकीय धन की हानि।

उत्तराखंड राज्य की औषधी क्रय नीति-2015 शासनादेश संख्या-932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012दिनांक 13.07.2015 के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार आयातित औषधियों/वैक्सीनों की शेल्फ लाइफ 50 प्रतिशत स्वीकार होगी, जो कि इंगित करता है कि देश मे निर्मित औषधियों की शेल्फ लाइफ की अवधि 50 प्रतिशत से अधिक अवश्य होनी चाहिए। स्वास्थ विभाग मे औषधियो के क्रय हेतु बजट की 70% धनराशि निदेशालय स्तर पर तथा 30% धनराशि का निस्तारण परिधिगत अधिकारियों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार 70% औषधि का क्रय निदेशालय स्तर पर किया जाता है तथा 30% औषधि का क्रय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा कराया किया जाता है, जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के केन्द्रीय भण्डार के माध्यम से अधीनस्थ इकाइयों को वितरित किया जाता है, तथा नितांत आवश्यक औषधि का क्रय स्थानीय स्तर पर भी किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ के औषधि से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे यह तथ्य संज्ञान मे आया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वर्ष 2017-18 मे 16 प्रकार की ऐसी औषधियां मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली, द्वारा सामुदायिक स्वास्थ केंद्र, जोशीमठ को आपूर्ति की गयी जिसकी न तो मांग की गयी थी और न ही जिसकी आवश्यकता थी, विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह कि इन औषधियों की कालातीत/ एक्सपाइरी अवधि मात्र 01-05 माह ही शेष थी, परिणाम यह हुआ कि उक्त औषधियों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका और उन औषधियों को नष्ट करना पड़ा। जिसका विवरण निम्नवत था-

क्र0	औषधि कानाम	**चिकित्सालय मे प्राप्त होने की तिथि**	**निर्माण तिथि**	कालातीत होने की तिथि	कालातीत **औषधि की** मात्रा
1	Lignocain Inj.	23.08.2017	-	01.112017	07
2	Eto+TheoInj	08.11.2017	-	01.01.2018	295
3	AmoxyPotaclauvnateinj	08.11.2017	-	01.02.2018	180
4	Celtazidemeinj	23.08.2017	-	01.02.2018	216
5	Ceftrayion 500 mg inj	17.03.2017	04/2015	03/2017	80
6	Frusemideinj	01.04.2017	-	01.07.2017	100
7	Frusemideinj	08.11.2017	-	01.02.2018	130
8	Amikacin inj	15.04.2017	-	01.08.2017	300
9	Dexamethasone inj	07.12.2017	-	01.02.2018	93
10	Insulin Inj.	08.02.2018	-	01.03.2018	60
11	Petaprazoleinj	22.09.2017	-	01.01.2018	100
12	Fluconazole cap 150 mg	01.04.2017	-	01.01.2018	700
13	Glimepiride	-	-	01.11.2017	760
14	MNZ Tab 400mg	30.05.2017	-	01.01.2018	350

15	Tri moxazole S.S. TAB	-	-	01.11.2017	3600
16	Oseltamivirinj	01.04.2017	-	01.09.2017	20
				योग	**6991**

विभाग द्वारा औषधियों का मांग-विश्लेषण (demand analysis) उचित तरीके से नहीं किया गया एवं औषधी-स्टॉक को क्रय करते समय उनकी शेल्फ-लाइफ का संज्ञान नहीं लिया जा रहा था तथा उच्चतर स्तर पर अनावश्यक रूप से दवाओं का क्रय कर भंडारण किया गया और एक्स्पायरी की तिथि निकट आने पर दवाओं को खपाने के उद्देश्य से अधीनस्थ इकाइयों/स्वास्थ्य केन्द्रों को भेजा गया था। जांच मे पाया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आपूर्ति-वाऊचर में औषधि निर्माण तिथि का कॉलम प्रिंट नहीं था उपरोक्त 16 दवाओं में से मात्र एक दवा की निर्माण तिथि (क्रमांक-05) भंडार-पंजिका में अंकित थी जिससे विदित हुआ कि निर्माण तिथि से लगभग दो वर्षो बाद (03/2017) एवं एक्स्पायरी तिथि के माह मे ही उक्त औषधियाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ को भेजी गयी थी, एवं औषधी भंडार पंजिका में दर वाले कॉलम मे मूल्य अंकित नहीं किया गया था जिस कारण नष्ट की गयी औषधि का मूल्य ज्ञात नहीं हो सका।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र जोशीमठ द्वारा बिना मांग के प्राप्त 16 प्रकार की कुल 6991 औषधियों को नष्ट किए जाने से न केवल शासकीय धन की हानि हुई, अपितु औषधियों का सदुपयोग सुनिश्चित नहीं किया जाने के कारण उसके लाभ से जनता वंचित रही जो कि शासकीय धन एवं जनहित की हानि थी। भण्डार पंजिका मे उपरोक्त औषधियों के मूल्य का उल्लेख नहीं होने के कारण उनका वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो सका।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया की मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली कार्यालय से प्राप्त औषधियों की कालातीत अवधि बहुत कम होने तथा उक्त औषधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उसको नष्ट करना पड़ा, तथा समय का अभाव होने एवं उक्त औषधियों की कालातीत अवधि कम होने का कारण अन्य किसी दूसरे स्वास्थ्य केंद्र को नहीं भेजा जा सका। इकाई का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतएव बिना मांग के कम शेल्फ-लाइफ वाली औषधियो की आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप 16 प्रकार की 6991 औषधियाँ को नष्ट किए जाने के कारण शासकीय धन की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………..Nil……………………………….

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य ।

2- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य ।

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रमांक	नाम	पदनाम	अवधि
01	डा0 महेंद्र सिंह खाती	चिकित्सा अधीक्षक	12/2016 से 24.10.2012
02	डा0 विराज शाह	चिकित्सा अधीक्षक	25.10.12 से 29.07.2017
03	डा0 संजय कुमार गुप्ता	चिकित्सा अधीक्षक	29.07.2017 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोशीमठ, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपप्रधान महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, प्रधान महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.